FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0017 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/01/2024 18:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	420
5	भा दं सं 1860	406
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2007 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2017
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/06/2018 **Time (समय):** 00:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/01/2024 18:36:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NEERAJ GURNANI

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 21/08/1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C- 124/A, BAJAJ NAGAR JAIPUR, JAIPUR, BAJAJ NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C- 124/A, BAJAJ NAGAR JAIPUR, JAIPUR, BAJAJ NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7976885227

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Narendra Kumar Verma		पिता:Savant Ram	1. 170/15,Sector 17,Pratap Nagar,Jaipur,SANGANER SADAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	Vijay Pareek		पिता:Prabhu Lal Pareek	1. 115,Shubh Sundar Tower,Bedla Road Saifan ke Pass,UDAIPUR,RAJASTHAN,IN

3	Rajneesh Bairwa		पिता:Babulal Bairwa	1. C-340,Aajad Nagar,BHILWARA,RAJASTHAN,I
4	Deepak Kumar Vijayvargiya		पिता:Nanag Ram Vijay	1. C-40,Laxminarayan puri Bheru ki Naal,Surajpol Gate Jaipur,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
5	Gyan Chand Meena		पिता:Babulal Meena	1. Boodthal Bassi,Kanota Jaipur,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
6	Ramesh Chand Meena		पिता:Hari Narayan Meena	1. Todabhata,Bassi Jaipur,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
7	Kailash Chand Verma		पिता:Nainuram	1. Near Bus Stend,Nagarpalika Bhawan ke Peeche,Chomu Jaipur,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
8	Mool Chand saini		पिता:Badrinarayan Saini	1. Shrimadhopur,SIKAR,RAJASTH
9	Gopal Singh Rajawat		पिता:Tejsingh Rajawat	1. 141,gali no. 5,Durgapura Railway Station ke Peeche,Madhav Nagar,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
10	Madan Lal Raigar		पिता:Vijay Lal	1. Vishanpura,Dausa,DAUSA,RAJA
11	Satyanarayan Vijay		पिता:Kishanlal	1. 7C-43,Sethi Colony,Jaipur,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
12	Pappu Lal		पिता:Ghasi Ram	1. Teela no. 6,Kacchi Basti,Jawahar nagar,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
13	Suwa Lal		पिता:Gendilal	1. 219-20,Sahbhagita mod,Vatika Road,Jaipur,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
14	Kishan Sharma		पिता:Umakant Sharma	1. Chowki Sindhi Colony Ke Pass,Sindhi Colony,Jaipur,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
15	Jagdish Narayan Meena		पिता:Gullaram Meena	1. Meenawala,Sirsi Road Jaipur,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
16	Shyoram Meena		पिता:Pratap Meena	1. Paldimeena Jaipur,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
17	Chotu Ram Meena		पिता:Chandaram Meena	1. Gulabgarh Dantli,Kotputli Jaipur,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
18	Badri Lal Meena		पिता:Narayan Lal Meena	1. Phaphiko ki Dungri,Bans Badanpura Gangapol Darwah,

				Jaipur,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
19	Govind Singh		पिता:Ganga Singh	1. 9J2/1,Gokhle Marg,Agrawal Farm,Mansarover,Jaipur,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
20	Girraj Meena and Others		पिता:Babulal Meena	1. Kudaliya,Bassi Jaipur,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,40,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,40,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार है कि परिवादी श्री उल्लास जैन द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रेषित परिवाद दिनांक 06 जून 2018 का ब्यूरो मुख्यालय पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि दैनिक भास्कर में दिनांक 0.05.2018 को प्रकाशित न्यूज के अनुसार कार्यालय सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जवाहर नगर जयपुर में एरियर के अधिक भुगतान व मृत कर्मचारियों का वेतन आहरण कर अन्य कर्मचारियों के खाते में स्थानान्तरिंत कर भारी फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसके लिए रजनीश बैरवा, एईएन व नरेन्द्र कुमार, एक्स एईएन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जवाहर नगर जयपुर की भूमिका प्रतीत होती है आदि। जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर में परिवाद संख्या 277/2018 दिनांक 04.07.2018 को दर्ज किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच की गई। दौराने जांच प्रकरण के संबंध में सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जवाहर नगर जयपुर से पत्राचार किया जाकर संबंधित सूचना/रिकार्ड जरिये पत्रांक 314-18 दिनांक 13.07.2021 के सलंग्र हुआ। जिसके अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान जल प्रदाय एंव सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर के आदेश पत्रांक 14873-80 दिनांक 28.11.2017 के निर्देशानुसार अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम (दक्षिण) जयपुर के तहत सहायक अभियंता, जवाहर नगर उपखण्ड प्रथम (दक्षिण) जयपुर में कार्यरत तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों के दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2017 तक उठाये गये वेतन, एरियर, अवकाश काल के वेतन के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान नियमित बिलों से अथवा एरियर बिलों से कब-कब भुगतान किया गया और किन परिस्थितियों में अवकाश लिये गये आदि के संबंध में विशेष एवं विस्तृत जांच श्री भगवानाराम कुलदीप, उपवित्तीय सलाहकार के पर्यवेक्षण में विशेष जांच दल द्वारा की गई। विशेष जांच दल द्वारा सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जवाहर नगर कार्यालय द्वारा कुछ अनुपस्थित कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत कराये जाकर अनुपस्थित अवधि का भी एरियर आहरित किया जाना, जबकि अनुपस्थिति अवधि का निर्णय तत्समय भी लम्बित होना, सेवानिवृत कार्मिकों के उपार्जित अवकाश बकाया न होने या कम बकाया होने पर भी 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का आहरण किया जाना तथा मृतक कार्मिकों की बकाया उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान उनके आश्रितों को नहीं किया जाकर अन्य कर्मचारी/बाहरी व्यक्तियों के खातों में किया जाना आदि पाये जाने पर दोषी कर्मचारियों से अनियमित अधिक भुगतान की वसूली एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आडिट रिपोर्ट में आडिट दल द्वारा जांच में 1,39,30,567 रुपये (एक करोड़ उन्नचालीस लाख तीस हजार पांच सौ सड़सठ रुपये) की अदेय राशि का भुगतान उठाकर गबन करना माना है तथा

इस हेतु 1. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, 2. श्री विजय पारीक, तत्कालीन सहायक अभियंता, 3. श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, 4. श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय, तत्कालीन बिल लिपिक, 5. श्री ज्ञानचंद मीणा, तत्कालीन सस्ंथापन लिपिक 6. श्री रमेश चन्द मीणा सहायक, 7. श्री सेवाराम, सेवानिवृत सहायक (हाल मृत्तक), 8. श्री कैलाश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत पम्प चालक, 9. श्री मूलचन्द सैनी, सेवानिवृत सहायक, 10. श्री गोपाल सिंह, सेवानिवृत पम्प चालक, 11. श्री मदनलाल रैगर, सेवानिवृत मीटर निरीक्षक, 12. श्री सत्यनारायण विजय, सेवानिवृत मीटर निरीक्षक, 13. श्री पप्पू लाल, सहायक, 14. श्री सूवालाल सहायक, 15. श्री लक्ष्मण महावर, सहायक (हाल मृत्तक), 16. श्री किशन शर्मा, सहायक, 17. श्री जगदीश नारायण मीणा, सहायक, 18. श्री श्योराम मीणा, सहायक, 19. श्री सीताराम चांवरिया, पम्प चालक (हाल मृत्तक), 20. श्री कजोड़ पम्प चालक (हाल मृत्तक), 21. श्री छोटूराम मीणा, पम्प चालक, 22. श्री बद्रीलाल मीणा, पम्प चालक, 23. श्री गोविन्द सिंह, सहायक तथा 24. श्री गिर्राज मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) को दोषी माना गया है। परिवाद में उल्लेखित तथ्यों एवं प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन व विश्लेषण से यह तथ्य सामने आये कि उपरोक्त क्रम सं. 01 से 24 तक उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों/प्राईवेट व्यक्ति द्वारा राजकीय राशि का गबन कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई व पद का दुरुपयोग किया गया जो निम्नानुसार हैः- 1.

स्व. श्री डूंगरसिंह मीणा, सहायक के 120 दिन उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान श्री रमेश चंद मीणा, सहायक द्वारा अपने बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।2.

श्री कैलाश चंद वर्मा, पम्प चालक के 101 दिवस उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान स्वंय के बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।3.स्व. श्री इकबाल, सहायक के 97 दिन उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान श्री रमेश चंद मीणा, सहायक द्वारा अपने बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया। 4.श्री मूलचंद सैनी, सहायक के 20 दिवस उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान स्वंय के बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।5.

श्री सेवाराम, पम्प चालक के शुन्य उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान स्वंय के बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।6.श्री गोपाल सिंह, पम्प चालक के 47 दिवस उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान स्वंय के बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री रजनीश बैरवा तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।7.श्री मदन लाल रैगर, मिटर निरीक्षक के 200 दिवस उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान स्वंय के बैंक खाता में प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री रजनीश बैरवा तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।8.स्व. श्री दरबान सिंह, सहायक के 42 दिन उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान मृतक के बैंक खाता में करवाया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।9.स्व. श्री गोपाल, सहायक के 121 दिन उपार्जित अवकाश के बावजूद 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान प्राईवेट व्यक्ति श्री गिर्राज मीणा के बैंक खाता में करवाया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक द्वारा किया गया।10.स्व. श्री डूंगर सिंह मीणा, सहायक की मृत्यु पश्चात भी वेतन आहरण कर वेतन का नगद भुगतान मृतक के आश्रितों को किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।11.श्री कैलाशचंद वर्मा, पम्प चालक की सेवानिवृति पश्चात भी वेतन आहरण कर वेतन का नगद भुगतान श्री कैलाशचंद वर्मा को किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।12.स्व. श्री श्रवण सिंह, सहायक की मृत्यु पश्चात भी वेतन आहरण कर वेतन का नगद भुगतान मृतक को किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री रजनीश बैरवा तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।13.स्व. श्री गोपाल, फिटर की मृत्यु पश्चात भी वेतन आहरण कर वेतन का नगद भुगतान श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय, वरिष्ठ लिपिक व प्राईवेट व्यक्ति श्री गिर्राज मीणा के बैंक खातों में किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री

14.श्री सत्यनारायण विजय, मीटर निरीक्षक की सेवानिवृति पश्चात भी वेतन आहरण कर वेतन का नगद भुगतान श्री सत्यनारायण विजय को किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।15.श्री बद्रीलाल मीणा पम्प चालक का अनुपस्थिति अवधि का वेतन आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (एन.के. वर्मा), तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।16.श्री सेवाराम पम्प चालक का अनुपस्थिति अवधि का वेतन आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतानश्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।17.श्री पप्पूलाल कार्यप्रभारित सहायक का अनुपस्थिति अवधि का वेतन आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।18.श्री सुवालाल सहायक का बिना किसी आधार का एरियर बिल व दोहरा वेतन आहरण किया गया। उक्त भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।19.

श्री लक्ष्मण महावर सहायक का गलत वेतन एवं एरियर आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।20.श्री किशन शर्मा सहायक का बार-बार दोहरा वेतन, वेतन निर्धारण एरियर, मूल वेतन में वृद्धि करके वेतन एवं समर्पित अवकाश का आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।

21.श्री जगदीश नारायण मीणा सहायक का अनुपस्थित अवधि का वेतन आहरण किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री रजनीश बैरवा तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।

22.श्री रमेश चंद सहायक को दोहरा वेतन भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।23.श्री श्योराम मीणा सहायक को अधिक व अनियमित भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।24.

श्री सीताराम चवरिया पम्प चालक को वेतन/एरियर का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।25.

स्व. श्री इकबाल सहायक को वेतन/एरियर का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।26.श्री कजोड़ पम्प चालक को अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री ज्ञानचंद मीणा, सस्ंथापन लिपिक, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।27.श्री गोविन्द सिंह सहायक को अनुपस्थिति अवधि का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।28.श्री छोटूराम, मिस्त्री को समर्पित अवकाश का गलत भुगतान, अनुपस्थिति दिवसों का वेतन तथा गलत एरियर का भुगतान किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (एन.के. वर्मा), तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।29. श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय कनिष्ठ लिपिक ने स्वंय भी अनियमित/गलत भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक द्वारा किया गया।

30.श्री ज्ञानचंद मीणा वरिष्ठ लिपिक ने स्वंय भी अनियमित/अधिक भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त अनियमित भुगतान श्री विजय पारीक तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय बिल लिपिक एवं स्वंय द्वारा किया गया।
इस प्रकार कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, प्रथम (दक्षिण) जवाहर नगर, जयपुर में उपरोक्त कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों/प्राईवेट व्यक्ति द्वारा षड़यत्रपूर्वक मिलीभगत कर अवैध कृत्य/विधिक कृत्य का लोप करते हुये राज्य सरकार को करीब 1.40 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाकर स्वंय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त किया जाकर भ्रष्टाचार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।अतः 1. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (एन.के. वर्मा), तत्कालीन सहायक अभियंता, 2. श्री विजय पारीक, तत्कालीन सहायक अभियंता, 3. श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, 4. श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (बिल लिपिक), 5. श्री ज्ञानचंद मीणा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (सस्ंथापन लिपिक) के विरुद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 420, 406, 120बी भा0द0स0 में तथा 6. श्री रमेश चन्द मीणा, तत्कालीन सहायक, 7. श्री कैलाश

निरीक्षक, 12. श्री पप्पू लाल, तत्कालीन सहायक/कार्यप्रभारित सहायक, 13. श्री सुवालाल, तत्कालीन सहायक, 14. श्री किशन शर्मा, तत्कालीन सहायक, 15. श्री जगदीश नारायण मीणा, तत्कालीन सहायक, 16. श्री श्योराम मीणा, तत्कालीन फिटर/सहायक, 17. श्री छोटूराम मीणा, तत्कालीन फोरमैन/मिस्त्री, 18. श्री बद्रीलाल मीणा, तत्कालीन पम्प चालक, 19. श्री गोविन्द सिंह, तत्कालीन सहायक, उक्त समस्त तत्कालीन पदस्थापन कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, प्रथम (दक्षिण) जवाहर नगर, जयपुर, 20. श्री गिर्राज मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा, ग्राम कुदलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के विरुद् अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा0द0स0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। 21. श्री सेवाराम, सेवानिवृत सहायक (हाल मृत्तक), 22. श्री लक्ष्मण महावर, सहायक (हाल मृत्तक), 23. श्री सीताराम चांवरिया, पम्प चालक (हाल मृत्तक), 24. श्री कजोड़ पम्प चालक (हाल मृत्तक) उक्त समस्त तत्कालीन पदस्थापन कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, प्रथम (दक्षिण) जवाहर नगर, जयपुर। उपरोक्त चारो आरोपियों के विरूद्ध भी अपराध प्रमाणित पाया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से आरोपीगणों 1. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (एन.के. वर्मा), तत्कालीन सहायक अभियंता, 2. श्री विजय पारीक, तत्कालीन सहायक अभियंता, 3. श्री रजनीश बैरवा, तत्कालीन सहायक अभियंता, 4. श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (बिल लिपिक), 5. श्री ज्ञानचंद मीणा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (सस्ंथापन लिपिक) के विरुद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 420, 406, 120बी भा0द0स0 में तथा 6. श्री रमेश चन्द मीणा, तत्कालीन सहायक, 7. श्री कैलाश चन्द्र वर्मा, तत्कालीन पम्प चालक, 8. श्री मूलचन्द सैनी, तत्कालीन सहायक/पम्प चालक, 9. श्री गोपाल सिंह राजावत, तत्कालीन पम्प चालक, 10. श्री मदनलाल रैगर, तत्कालीन मीटर निरीक्षक, 11. श्री सत्यनारायण विजय, तत्कालीन मीटर निरीक्षक, 12. श्री पप्पू लाल, तत्कालीन सहायक/कार्यप्रभारित सहायक, 13. श्री सुवालाल, तत्कालीन सहायक, 14. श्री किशन शर्मा, तत्कालीन सहायक, 15. श्री जगदीश नारायण मीणा, तत्कालीन सहायक, 16. श्री श्योराम मीणा, तत्कालीन फिटर/सहायक, 17. श्री छोटूराम मीणा, तत्कालीन फोरमैन/मिस्त्री, 18. श्री बद्रीलाल मीणा, तत्कालीन पम्प चालक, 19. श्री गोविन्द सिंह, तत्कालीन सहायक तथा 20. श्री गिर्राज मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के विरुद्व अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा0द0स0 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री सुरेश कुमार स्वमी, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 451 दिनांक 29.1.2024 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः-78-92 दिनांक 29.1.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।2.

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।3.सहायक शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।4.उप शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।5.शासन उप सचिव-प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान,जयपुर।6.अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान,जयपुर।7.अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ग,राजस्थान,जयपुर।8.अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत, जयपुर।9.अधिशाषी अभियंता, यांत्रिकी खण्ड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।10.अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान,-नगर वृत जयपुर।11.अधीशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर।12.अधीशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भरतपुर13.अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-उत्पादन एवं वितरण, जयपुर।14.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम जयपुर।15.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.277/18)।पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/01/2024 18:38:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/05/1967				
2	Male	04/07/1958				
3	Male	13/06/1984				
4	Male	31/10/1979				
5	Male	02/08/1979				
6	Male	08/07/1977				
7	Male	19/09/1978				
8	Male	01/01/1956				
9	Male	01/08/1956				
10	Male	05/10/1956				
11	Male	20/01/1956				
12	Male	30/12/1972				
13	Male	01/07/1962				
14	Male	21/03/1989				
15	Male	27/01/1997				
16	Male	10/12/1968				
17	Male	02/10/1960				
18	Male	05/06/1962				
19	Male	15/06/1972				
20	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)